The Rajasthan Special Courts Act, 2012

Act 38 of 2012

Keyword(s):
Special Court, Special Courts Act, Authorized Officer, Declaration, Offence

Amendment appended: 11 of 2013

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

अग्रहायण 20, मंगलवार, शाके 1934–दिसम्बर 11, 2012
Agrahayana 20, Tuesday, Saka 1934–December 11, 2012

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 11, 2012

संख्या प. 2 (22) विधि/2/2012.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 को प्राप्त हुई, एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 38)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 को प्राप्त हुई]

अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण के लिए और अन्तर्वलित सम्पत्तियों के अधिहरण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यत: राजस्थान राज्य में लोक पद धारण करने वाले व्यक्तियों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(ग) के अर्थान्तर्गत लोक सेवकों में भ्रष्टाचार की व्याप्ति अनुभव की गयी है;

और यत:, सरकार के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि बड़ी संख्या में उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने लोक पद धारण किये हैं या कर रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(ग) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक हैं, भ्रष्ट साधनों से विपुल सम्पत्ति अर्जित कर ली है जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं है;

और यत:, राज्य की यह बाध्यता है कि वह ऐसे भ्रष्ट आचरणों में संलिप्त व्यक्तियों को अभियोजित करे और उनकी गलत तरीकों से अर्जित आस्तियों का अधिहरण करे;

और यतः, विशेष न्यायाधीशों के विद्यमान न्यायालयों से उन अभियोजनों से उदभूत विचारणों के त्वरित निस्तारण की युक्तियुक्त अपेक्षा नहीं की जा सकती और संसदीय लोकतंत्र और भारत के संविधान द्वारा या उसके अधीन सृजित संस्थाओं के दक्षतापूर्ण कार्यकरण के लिए यह अनिवार्य है कि उपर्युक्त अपराधियों का विचारण अधिकतम शीघ्रता से किया जाये;

और यतः, उक्त प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाये जिनकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाये जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हैं या रहे हैं और कुछ ऐसे प्रक्रियात्मक परिवर्तन करना भी समीचीन है जिनके द्वारा, विचारण किये जाने वाले व्यक्तियों के दोषी या निर्दोष होने के अंतिम अवधारण में एक निष्पक्ष विचारण के अधिकार में हस्तक्षेप किये बिना, परिहार्य विलंब को दूर किया जायेः

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.49) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से ऐसा कोई सेवारत अधिकारी अभिप्रेत है जो राजस्थान न्यायिक सेवा का है और जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश है या रहा है, जिसे धारा 3 के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय की सहमति से नामनिर्देशित किया गया है;

(ग) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) अभिप्रेत है;

(घ) किसी अपराध के संबंध में "घोषणा" से, ऐसे अपराध के संबंध में धारा 5 के अधीन की गयी घोषणा अभिप्रेत है;

(ङ) "अपराध" से ऐसा आपराधिक अवचार अभिप्रेत है जिस पर अधिनियम की धारा 13 (1) (ङ) या तो स्वतंत्र रूप से या अधिनियम या भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.45) के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के साथ संयुक्त रूप से लागू होती है;

(च) "विशेष न्यायालय" से धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है; और

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु संहिता या अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके संहिता या अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

विशेष न्यायालयों की स्थापना

3. विशेष न्यायालयों की स्थापना.- (1) राज्य सरकार, अपराध के त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, इतने न्यायालय स्थापित करेगी जितने वह पर्याप्त समझे, जिन्हें विशेष न्यायालय के रूप में जाना जायेगा।

(2) विशेष न्यायालय की अध्यक्षता, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति से नामनिर्देशित किये जाने वाले न्यायाधीश द्वारा की जायेगी।

(3) कोई भी व्यक्ति, विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह राजस्थान न्यायिक सेवा का सदस्य न हो और राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश न हो या नहीं रहा हो।

4. विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान.- विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान करेगा और उनका विचारण करेगा जो

उसके समक्ष संस्थित किये जायें या धारा 10 के अधीन उसको स्थानान्तरित किये जायें।

5. इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने वाले मामलों की घोषणा.- (1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसे अपराध के कारित किये जाने का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हो, जो अभिकथित रूप से ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है जिसने राजस्थान राज्य में लोक पद धारण किया है या कर रहा है और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.49) की धारा 2 (ग) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक है, या रहा है तो राज्य सरकार, ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें उसकी पूर्वोक्त राय हो, इस प्रभाव की घोषणा करेगी।

(2) ऐसी घोषणा को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

6. घोषणा का प्रभाव.- (1) ऐसी घोषणा किये जाने पर, संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपराध के संबंध में कोई भी अभियोजन केवल विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जायेगा।

(2) जहां धारा 5 के अधीन की गयी कोई घोषणा उस अपराध के बारे में हो जिसके संबंध में पहले से ही अभियोजन संस्थित किया जा चुका हो और उसके संबंध में कार्यवाहियां इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लंबित हों, वहां ऐसी कार्यवाहियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अनुसार अपराध के विचारण के लिए विशेष न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेंगी।

7. अपराधों के विचारण के संबंध में विशेष न्यायालय की अधिकारिता.- विशेष न्यायालय को उस अपराध के कारित किये जाने के लिए अभिकथित किसी व्यक्ति का या तो मुख्य आरोपी, षड़यंत्रकर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में विचारण करने की अधिकारिता होगी, जिसके संबंध में धारा 5 के अधीन घोषणा की गयी है, और संहिता के अनुसार उन सभी का एक ही विचारण में संयुक्तत: विचारण किया जा सकता है।

8. विशेष न्यायालयों की शक्तियां और प्रक्रिया.- (1) विशेष न्यायालय, ऐसे मामलों के विचारण में, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों के विचारण के लिए संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(2) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, संहिता के और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.49) के उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, विशेष न्यायालय की कार्यवाहियों पर लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए, विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जायेगा।

(3) विशेष न्यायालय, उसके द्वारा दोषसिद्ध किये गये ऐसे किसी भी व्यक्ति पर, उस अपराध, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध ठहराया गया है, के दंड के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश पारित कर सकेगा।

9. विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील.- (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय और दण्डादेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में तथ्यों और विधि दोनों पर अपील होगी।

(2) यथा पूर्वोक्त के सिवाय, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश की किसी भी न्यायालय में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण नहीं होगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, विशेष न्यायालय के निर्णय और दण्डादेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर की जायेगी:

परन्तु उच्च न्यायालय तीस दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, उसका यह समाधान हो जाता है कि निर्धारित कालावधि के भीतर अपील नहीं करने का अपीलार्थी के पास पर्याप्त कारण था।

10. मामलों का स्थानान्तरण.- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के होते हुए भी, राजस्थान उच्च न्यायालय, मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकेगा।

11. किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना.- (1) विशेष न्यायालय, किसी विचारण को, किसी भी प्रयोजन के लिए तब तक स्थगित नहीं करेगा जब तक कि, उसकी राय में न्याय के हित में और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसा स्थगन आवश्यक न हो।

(2) विशेष न्यायालय, मामले के विचारण को, उसके संस्थित या, यथास्थिति, स्थानांतरित किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर निपटाने का प्रयास करेगा।

12. पीठासीन न्यायाधीश उसके पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकेगा.- विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई न्यायाधीश, भागत: उसके पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा और भागत: स्वयं उसके द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकेगा।

अध्याय 3

संपत्ति का अधिहरण

13. संपत्ति का अधिहरण.- (1) जहां राज्य सरकार के पास प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसने लोक पद धारण किया है या धारण कर रहा है और लोक सेवक है या रहा है, अपराध कारित किया है, वहां राज्य सरकार, चाहे विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान किया हो या न किया हो, ऐसे धन और अन्य सम्पत्ति, जिसके बारे में राज्य सरकार यह विश्वास करती है कि वह उक्त व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से उपाप्त की है, के इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करने के लिए लोक अभियोजक को प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन,-

(क) के साथ एक या अधिक शपथ-पत्र होंगे, जिनमें उन आधारों का, जिन पर यह विश्वास आधारित हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और उस धन की रकम और अन्य संपत्ति का प्राक्कलित मूल्य, जिसके लिए यह विश्वास किया गया हो कि उसे अपराध के माध्यम से उपाप्त किया गया है, उल्लेख होगा; और

(ख) उसमें ऐसे किसी धन और अन्य संपत्ति की तत्समय अवस्थिति के बारे में उपलब्ध कोई सूचना भी अन्तर्विष्ट होगी और यदि आवश्यक हो तो, इस संदर्भ में सुसंगत समझी गयी अन्य विशिष्टियां भी दी जायेंगी।

14. अधिहरण के लिए नोटिस.- (1) इस अधिनियम की धारा 13 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी, उस व्यक्ति को, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है (जिसे इसके पश्चात् प्रभावित व्यक्ति कहा गया है), ऐसे समय के भीतर-भीतर, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, जो सामान्यतया तीस दिवस से कम नहीं होगा, उसकी आय, उपार्जन या आस्तियों का वह स्रोत दर्शित करने के लिए, जिससे या जिसके माध्यम से उसने ऐसा धन या सम्पत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है, और अन्य सुंसगत सूचना और विशिष्टियां उपदर्शित करने के लिए, और यह हेतुक दर्शित करने के लिए कि ऐसे संपूर्ण या किसी धन या संपत्ति या दोनों को, उस अपराध के माध्यम से अर्जित किया हुआ क्यों नहीं घोषित किया जाये और राज्य सरकार द्वारा अधिहृत किया जाये, नोटिस देकर बुलायेगा।

(2) जहां, उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दिये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट किये गये किसी धन या संपत्ति या दोनों को ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा धारित किया गया हो, वहां उस नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जायेगी।

(3) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रभावित व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिलेख पर लाये गये साक्ष्य, सूचना और विशिष्टियों का विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में खण्डन किया जा सकेगाः

परन्तु ऐसा खण्डन, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के दोष के अवधारण और न्याय-निर्णयन तक सीमित रहेगा।

15. कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण.- (1) प्राधिकृत अधिकारी, धारा 14 के अधीन जारी हेतुक दर्शित करने के लिए नोटिस का स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर

विचार करने के पश्‍चात् और प्रभावित व्यक्ति को (और ऐसे मामलों में जहां, प्रभावित व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई धन या सम्पत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से धारण करता है तो ऐसे दूसरे व्यक्ति को भी) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, आदेश द्‌वारा, निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्‍नगत संपूर्ण या कोई अन्य धन या सम्पत्तियां अवैध रूप से अर्जित की गयी हैं।

(2) जहां प्राधिकृत अधिकारी यह विनिर्दिष्ट करता है कि हेतुक दर्शित करने के लिए नोटिस में निर्दिष्ट धन या संपत्ति या दोनों में से किसी को अपराध के माध्यम से अर्जित किया गया है किन्तु वह ऐसे धन या संपत्ति को विनिर्दिष्टतः चिह्नित करने में असमर्थ हो, वहां प्राधिकृत अधिकारी के लिए, अपने सर्वोत्तम विवेक से, यह विनिर्दिष्ट करना विधिपूर्ण होगा कि वह धन या संपत्ति या दोनों उस अपराध के माध्यम से अर्जित किये गये हैं और तदनुसार उप-धारा (1) के अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(3) जहां प्राधिकृत अधिकारी इस धारा के अधीन इस प्रभाव का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई धन या संपत्ति या दोनों को अपराध के माध्यम से अर्जित किया गया है, वहां वह यह घोषित करेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसा धन या संपत्ति या, दोनों सभी विल्लंगमों से मुक्त रूप में, राज्य सरकार को अधिहृत हो जायेंगे:

परन्तु यदि प्राधिकृत अधिकारी को, अधिहृत संपत्ति का बाजार मूल्य जमा करवा दिया गया है तो वह संपत्ति अधिहृत नहीं की जायेगी।

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी का कोई शेयर राज्य सरकार को अधिहृत होता है, तो वह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं.1) में या कंपनी के संगम अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को, ऐसे शेयर के अंतरिती के रूप में तत्काल रजिस्टर करेगी।

(5) इस अध्याय के अधीन धन या संपत्ति या दोनों के अधिहरण की प्रत्येक कार्यवाही का निपटारा धारा 14 की उप- धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर किया जायेगा।

(6) इस धारा के अधीन पारित किया गया अधिहरण का आदेश, धारा 17 के अधीन अपील में पारित आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

16. अंतरण का अकृत और शून्य होना.- जहां धारा 14 के अधीन किसी नोटिस के जारी होने के पश्चात्, उक्त नोटिस में निर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति या दोनों किसी भी ढंग से अंतरित किये जाते हैं, वहां ऐसा अन्तरण, इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए शून्य होगा और यदि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों धारा 15 के अधीन राज्य सरकार को पश्चातवर्ती रूप से अधिहृत हो गयी हैं तो ऐसे धन या संपत्ति या दोनों का अंतरण अकृत और शून्य समझा जायेगा।

17. अपील.- (1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के किसी भी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, के पारित किये जाने की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई अपील किये जाने पर उच्च न्यायालय, ऐसे पक्षकारों को, जिन्हें वह उचित समझे, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(3) उप-धारा (1) के अधीन की गयी कोई अपील, अपील किये जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर अधिमानत: निपटायी जायेगी और ऐसी किसी अपील में पारित किया गया कोई रोक आदेश, यदि कोई हो, अपील के निपटारे के लिए विहित कालावधि के बाद प्रवृत्त नहीं रहेगा।

18. कब्जा लेने की शक्ति.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई धन या संपत्ति या दोनों राज्य सरकार को अधिहृत किये गये हैं, वहां संबंधित प्राधिकृत अधिकारी, प्रभावित व्यक्ति को, साथ ही साथ ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में धन या संपत्ति या दोनों हों, आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उसका कब्जा अभ्यर्पित या परिदत्त करने का आदेश देगा:

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी, इस निमित्त कोई आवेदन किये जाने पर और यह समाधान हो जाने पर कि प्रभावित व्यक्ति प्रश्नगत संपत्ति में निवास कर रहा है, उसे उससे तुरंत बेकब्जा करने के बजाय, ऐसे व्यक्ति को, विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमित कालावधि के लिए, राज्य सरकार को बाजार दर पर किराया संदत्त करने पर, उस संपत्ति का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा, और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति संपत्ति का कब्जा सौंप देगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश का पालन करने से इंकार करता है तो प्राधिकृत अधिकारी, संपत्ति का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए, इतना बल प्रयोग कर सकेगा, जो आवश्यक हो।

(3) उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी धन या संपत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए, सहायता करने के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करना उस पुलिस अधिकारी का आबद्धकारी कर्तव्य होगा।

19. अधिहृत धन या संपत्ति का प्रतिदाय.- जहां धारा 15 के अधीन दिये गये अधिहरण के किसी आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अपील में उपांतरित या बातिल किया जाता है या जहां प्रभावित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जाता है, वहां प्रभावित व्यक्ति को धन या सम्पत्ति या दोनों लौटा दी जायेंगी और यदि किसी भी कारण से संपित्त लौटायी जानी संभव न हो तो ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार अधिहृत धन पर, अधिहरण की तारीख से पांच प्रतिशत वार्षिक की दर से संगणित ब्याज सम्मिलित करते हुए, संपत्ति का बाजार मूल्य संदत्त किया जायेगा।

अध्याय 4

विविध

20. विवरण में गलती के कारण नोटिस या आदेश का अविधिमान्य नहीं होना.- इस अधिनियम के अधीन जारी या तामील किया गया कोई भी नोटिस, की गयी कोई भी घोषणा और पारित किया

गया कोई भी आदेश, उसमें उल्लिखित संपत्ति या व्यक्ति के विवरण में किसी गलती के कारण अविधिमान्य नहीं माना जायेगा, यदि इस प्रकार उल्लिखित विवरण से ऐसी संपत्ति या व्यक्ति की पहचान की जा सके।

21. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में, और इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात से, किसी लोक सेवक को ऐसी किसी कार्यवाही से, जो इस अधिनियम के अलावा उसके विरुद्ध संस्थित की जा सकती है, छूट प्राप्त नहीं होगी।

22. अन्य कार्यवाहियों का वर्जन.- धारा 9 और 17 में यथा उपबंधित के सिवाय और किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 15 के अधीन आदेश से अधिहृत किये जाने वाले किसी धन या संपत्ति या दोनों के संबंध में, किसी भी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां पोषणीय नहीं होंगी।

23. सदभावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण.- इस अधिनियम के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गयी या की जाने की लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी।

24. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी

उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

25. धारा 3 के अधीन अधिसूचनाओं और धारा 5 के अधीन घोषणाओं का रखा जाना.- धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना और धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन की गयी प्रत्येक घोषणा उनके जारी होने या किये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जायेंगी।

26. अध्यारोही प्रभाव.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.49) और दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी असंगतता की स्थिति में इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।

प्रकाश गुप्ता,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, December 11, 2012

No. F. 2 (22) Vidhi/2/2012.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vishes Nyayalaya Adhiniyam, 2012 (2012 Ka Adhiniyam Sankhyank 38):–

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN SPECIAL COURTS ACT, 2012

(Act No. 38 of 2012)

[Received the assent of the President on the 3rd day of December, 2012]

An

Act

to provide for the constitution of Special Courts for the speedy trial of certain class of offences and for confiscation of the properties involved.

Whereas corruption is perceived to be amongst the persons holding public offices and public servants within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 in the State of Rajasthan;

And whereas the Government has sufficient reasons to believe that large number of persons, who have held or are holding public offices and are public servants within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 have accumulated vast property, disproportionate to their known sources of income by resorting to corrupt means;

And whereas it is obligation of the State to prosecute persons involved in such corrupt practices and confiscate their ill gotten assets;

And whereas the existing Courts of Special Judges cannot reasonably be expected to bring the trials, arising out of those prosecutions, to a speedy termination and it is imperative for the efficient functioning of a parliamentary democracy and the institutions created by or under the Constitution of India that the aforesaid offenders should be tried with utmost dispatch;

And whereas it is necessary for the said purpose to establish Special Courts to be presided over by the persons who are or have been Sessions Judges or Additional Sessions Judges and it is also expedient to make some procedural changes whereby avoidable delay in the final determination of the guilt or innocence, of the persons to be tried, is eliminated without interfering with the right to a fair trial;

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER- I
Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Special Courts Act, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,**-**

(a) "Act" means Prevention of Corruption Act, 1988(Central Act No. 49 of 1988);

(b) "authorized officer" means any serving officer belonging to Rajasthan Judicial Service and who is or has been Sessions Judge or Additional Sessions Judge, nominated by the State Government with the concurrence of the High Court for the purpose of section 3;

(c) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) ;

(d) "Declaration" in relation to an offence, means a declaration made under section 5 in respect of such offence;

(e) "offence" means an offence of criminal misconduct which attracts application of section 13(1) (e) of the Act either independently or in combination with any other provision of the Act or any of the provision of Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860);

(f) "Special Court" means a Special Court established under section 3; and

(g) words and expressions used herein and not defined but defined in the Code or the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Code or the Act.

CHAPTER- II
Establishment of Special Courts

3. Establishment of Special Courts.- (1) The State Government shall, for the purpose of speedy trial of offence, by notification, establish as many Courts as considered adequate to be called Special Courts.

(2) A Special Court shall be presided over by a Judge to be nominated by the State Government with the concurrence of the Rajasthan High Court.

(3) No person shall be qualified for nomination as a Judge of a Special Court unless he is a member of Rajasthan Judicial Service and is or has been a Sessions Judge or Additional Sessions Judge in the State.

4. Cognizance of cases by Special Courts.- A Special Court shall take cognizance of and try such cases as are instituted before it or transferred to it under section 10.

5. Declaration of cases to be dealt with under this Act.- (1) If the State Government is of the opinion that there is *prima facie* evidence of the commission of an offence alleged to have been committed by a person, who has held or is holding public office and is or has been public servant within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act No. 49 of 1988) in the State of Rajasthan, the State Government shall make a declaration to that effect in every case in which it is of the aforesaid opinion.

(2) Such declaration shall not be called in question in any Court.

6. Effect of declaration.- (1) On such declaration being made, notwithstanding anything in the Code or any other law for the time being in force, any prosecution in respect of the offence shall be instituted only in a Special Court.

(2) Where any declaration made under section 5 relates to an offence in respect of which a prosecution has already been instituted and the proceedings in relation thereto are pending in a Court other than Special Court under this Act, such proceedings shall, notwithstanding anything contained in any other law for the

time being in force, stand transferred to Special Court for trial of the offence in accordance with this Act.

7. Jurisdiction of Special Court as to trial of offences.- A Special Court shall have jurisdiction to try any person alleged to have committed the offence in respect of which a declaration has been made under section 5, either as principal, conspirator or abettor and all of them can be jointly tried therewith at one trial in accordance with the Code.

8. Procedure and powers of Special Courts.- (1) A Special Court shall, in the trial of such cases, follow the procedure prescribed by the Code for the trial of warrant cases before a Magistrate.

(2) Save as expressly provided in this Act, the provisions of the Code and of the Prevention of Corruption Act, 1988(Central Act No. 49 of 1988) shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, apply to the proceedings before a Special Court and for the purpose of the said provisions, the person conducting a prosecution before a Special Court shall be deemed to be a Public Prosecutor.

(3) A Special Court may pass, upon any person convicted by it, any sentence authorized by law for the punishment of the offence of which such person is convicted.

9. Appeal against orders of Special Courts.- (1) Notwithstanding anything in the Code, an appeal shall lie from any judgment and sentence of a Special Court to the High Court of Rajasthan both on facts and law.

(2) Except as aforesaid, no appeal or revision shall lie in any Court from any judgment, sentence or order of a Special Court.

(3) Every appeal under this section shall be preferred within a period of thirty days from the date of judgment and sentence of a Special Court:

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied for

reasons to be recorded in writing that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period.

10. Transfer of cases.- Notwithstanding the other provisions of this Act, it would be open to the High Court of Rajasthan to transfer cases from one Special Court to another.

11. Special Court not bound to adjourn a trial.- (1) A Special Court shall not adjourn any trial for any purpose unless such adjournment is, in its opinion, necessary in the interest of justice and for reasons to be recorded in writing.

(2) The Special Court shall endeavour to dispose of the trial of the case within a period of one year from the date of its institution or transfer, as the case may be.

12. Presiding Judge may act on evidence recorded by his predecessor.- A Judge appointed under section 3 to preside over a Special Court may act on the evidence recorded by his predecessor or predecessors or partly recorded by his predecessor or predecessors and partly recorded by himself.

CHAPTER- III
Confiscation of Property

13. Confiscation of property.- (1) Where the State Government, on the basis of *prima facie* evidence, have reasons to believe that any person, who has held or is holding public office and is or has been a public servant, has committed the offence, the State Government may, whether or not the Special Court has taken cognizance of the offence, authorize the Public Prosecutor for making an application to the authorized officer for confiscation under this Act of the money and other property, which the State Government believe the said person to have procured by means of the offence.

(2) An application under sub-section (1) **-**

(a) shall be accompanied by one or more affidavits, stating the grounds on which the belief, that the said person has committed the offence, is founded and the

amount of money and estimated value of other property believed to have been procured by means of the offence; and

(b) shall also contain any information available as to the location for the time being of any such money and other property, and shall, if necessary, give other particulars considered relevant to the context.

14. Notice for confiscation.- (1) Upon receipt of an application made under section 13 of this Act, the authorized officer shall serve a notice upon the person in respect of whom the application is made (hereafter referred to as the person affected) calling upon him within such time as may be specified in the notice, which shall not be ordinarily less than thirty days, to indicate the source of his income, earnings or assets, out of which or by means of which he has acquired such money or property, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause as to why all or any of such money or property or both, should not be declared to have been acquired by means of the offence and be confiscated to the State Government.

(2) Where a notice under sub-section (1) to any person specifies any money or property or both as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the evidence, information and particulars brought on record before the authorized officer, by the person affected or the State Government shall be open to be rebutted in the trial before the Special Court:

Provided that such rebuttal shall be confined to the trial for determination and adjudication of guilt of the offender by the Special Court under this Act.

15. Confiscation of property in certain cases.- (1) The authorized officer may, after considering the explanation, if any, to

the show cause notice issued under section 14 and the materials available before it, and after giving to the person affected (and in case here the person affected holds any money or property specified in the notice through any other person, to such other person also) a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding whether all or any other money or properties in question have been acquired illegally.

(2) Where the authorized officer specifies that some of the money or property or both referred to in the show cause notice are acquired by means of the offence, but is not able to identify specifically such money or property, then it shall be lawful for the authorized officer to specify the money or property or both which, to the best of his judgment, have been acquired by means of the offence and record a finding, accordingly, under sub-section (1).

(3) Where the authorized officer records a finding under this section to the effect that any money or property or both have been acquired by means of the offence, he shall declare that such money or property or both shall, subject to the provisions of this Act, stand confiscated to the State Government free from all encumbrances:

Provided that if the market price of the property confiscated is deposited with the authorized officer, the property shall not be confiscated.

(4) Where any share in a Company stands confiscated to the State Government under this Act, then, the Company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) or the Articles of Association of the Company, forthwith register the State Government as the transferee of such share.

(5) Every proceeding for confiscation of money or property or both under this Chapter shall be disposed of within a period of six months from the date of service of the notice under sub-section(1) of section 14.

(6) The order of confiscation passed under this section shall, subject to the order passed in appeal, if any, under section 17, be final and shall not be called in question in any Court of law.

16. Transfer to be null and void.-Where, after the issue of a notice under section 14, any money or property or both referred to in the said notice are transferred by any mode whatsoever, such transfer shall, for the purposes of the proceedings under this Act, be void and if such money or property or both are subsequently confiscated to the State Government under section 15, then, the transfer of such money or property or both shall be deemed to be null and void.

17. Appeal.- (1) Any person aggrieved by any order of the authorized officer under this Chapter may appeal to the High Court within thirty days from the date on which the order appealed against was passed.

(2) Upon any appeal preferred under this section the High Court may, after giving such parties, as it thinks proper, an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit.

(3) An appeal preferred under sub-section (1) shall be disposed of preferably within a period of six months from the date it is preferred, and stay order, if any, passed in an appeal shall not remain in force beyond the prescribed period of disposal of appeal.

18. Power to take possession.- (1) Where any money or property or both have been confiscated to the State Government under this Act, the concerned authorized officer shall order the person affected, as well as any other person, who may be in possession of the money or property or both to surrender or deliver possession thereof to the concerned authorized officer or to any person duly authorized by him in this behalf, within thirty days of the service of the order:

Provided that the authorized officer, on an application made in that behalf and being satisfied that the person affected is residing in the property in question, may instead of dispossessing him immediately from the same, permit such person to occupy it for a limited period to be specified on payment of market rent to

the State Government and thereafter, such person shall deliver the vacant possession of the property.

(2) If any person refuses or fails to comply with an order made under sub-section (1), the authorized officer may take possession of the property and may, for that purpose, use such force as may be necessary.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) the authorized officer may, for the purpose of taking possession of any money or property or both referred to in sub-section (1), requisition the service of any police officer to assist and it shall be the bounden duty of such officer to comply with such requisition.

19. Refund of confiscated money or property.-Where an order of confiscation made under section 15 is modified or annulled by the High Court in appeal or where the person affected is acquitted by the Special Court, the money or property or both shall be returned to the person affected and in case it is not possible for any reason to return the property, such person shall be paid the price thereof including the money so confiscated with the interest at the rate of five per cent per annum thereon calculated from the date of confiscation.

CHAPTER- IV
Miscellaneous

20. Notice or order not to be invalid for error in description.- No notice issued or served, no declaration made and no order passed, under this Act shall be deemed to be invalid by reason of any error in the description of the property or person mentioned therein, if such property or person is identifiable from the description so mentioned.

21. Act to be in addition to any other law.-The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force, and nothing contained herein shall exempt any public servant from any proceeding which might, apart from this Act, be instituted against him.

22. Bar to other proceedings.-Save as provided in sections 9 and 17 and notwithstanding anything contained in any other law, no suit or other legal proceedings shall be maintainable in any Court in respect of any money or property or both ordered to be confiscated under section 15.

23. Protection of action taken in good faith.-No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

24. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification, make rules, for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done thereunder.

25. Notifications under section 3 and declarations under section 5 to be laid.-Every notification issued under sub-section (1) of section 3 and every declaration made under sub-section (1) of section 5 shall be laid, as soon as may be, after they are issued or made, before the House of the State Legislature.

26. Overriding effect.-Notwithstanding anything in the Prevention of Corruption Act, 1988(Central Act No. 49 of 1988) and the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 or any other law for the time being in force, the provisions of this Act shall prevail in case of any inconsistency.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

22

Government Central Press, Jaipur.

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	चैत्र 20, बुधवार, शाके 1935–अप्रेल 10, 2013 *Chaitra 20, Wednesday, Saka 1935–April 10, 2013*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 10, 2013

संख्या प. 2 (18) विधि/2/2013.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रेल, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 11)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रेल, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं.38 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं.38) की धारा 2 के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 3" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 13" प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 10, 2013

No. F. 2 (18) Vidhi/2/2013.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vishes Nyayalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (2013 Ka Adhiniyam Sankhyank 11):–

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN SPECIAL COURTS (AMENDMENT) ACT, 2013

(Act No. 11 of 2013)

[Received the assent of the Governor on the 9th day of April, 2013]

An

Act

to amend the Rajasthan Special Courts Act,2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Special Courts (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 38 of 2012.- In clause (b) of section 2 of the Rajasthan Special Courts Act, 2012 (Act No. 38 of 2012), for the existing expression "section 3",the expression "section 13" shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

2

Government Central Press, Jaipur.